तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रकाश चौधरी बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) सू.अ.अ. अपील संख्या 173 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रकाश चौधरी पुत्र भेराराम पता 94, जाटों का बास, ग्राम रामासनी वाया भावी, तहसील बिलाड़ा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.09.17. में उसके द्वारा (1) राजस्व लोक अदालत कार्यक्रम 2015 के केम्प कोर्ट पीचियाक में वाद सं. 33 / 2015 व 35 / 2015 के सम्पूर्ण सूचनाएं / दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य 02 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से जरिये पत्रांक 2086 दिनांक 16.11.17 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ. / 1811 दिनांक 22.09.17 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई गई है जिसकी स्वीकृति अपीलार्थी अपील के पेरा सं. 2 में उल्लेख किया गया है। अपनी रिपोर्ट के साथ अपीलार्थी को पूर्व में भेजे गये पत्रांक 1811 दिनांक 22.09. 17 की प्रति भी संलग्न की है। उक्त पत्र में लोक सूचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया कि अपने प्रार्थना–पत्र में आप द्वारा वांछित सूचनाऐं / दस्तावेज का निरीक्षण करने के लिए कार्यालय समय 9.30 एम से 6.00 पी.एम. के मध्य कार्य दिवस के दिन कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकते है एवं 15 दिवस तक समय भी दिया गया। अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में जाकर चाही गई सूचना से संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुआ या नहीं, अपील में स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः हम लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत है। अतः अपीलार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो 20 दिवस के भीतर लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा नियत अवधि में उपस्थित होने पर संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण करावे तथा निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड से चाही गई सूचना मांगने पर विधिक प्रावधानों के तहत सूचना दें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।	